राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6144/2021

महेश चन्द शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय), जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.12.2021
आदेश की दिनांक : 19.09.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को ग्रेड पे 3800 का लाभ जिस तिथि से उनके समान अन्य कार्मिकों को दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी दिया जावे और पीपीओ पेंशन आदि का पुनर्निधारण करते हुये सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 13.01.1979 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर हुई थी और उसे एसडीआई के पद पर माह अगस्त, 1995 में पदोन्नत किया गया। उक्त पद को व्याख्याता संवर्ग में समायोजित किया गया। नियमानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में अपीलार्थी को माह अगस्त, 2005 में प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और उसे माह अगस्त, 2015 में द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ देय था। प्रधानाचार्य के पद के लिये वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी के नाम पर उक्त पद हेतु विचार किया गया और पदोन्नति उपरांत उसे आदेश दिनांक 25.07.2015 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करेडाखुर्द चाकसू, जयपुर पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 30.09.2015 के द्वारा अपीलार्थी को उदयपुर स्थानांतरित किया गया। उनका तर्क है कि अपीलार्थी समान व्यक्ति जिसे अपीलार्थी के साथ आदेश दिनांक

25.07.2015 के द्वारा पदोन्नत किया गया और ग्रेड पे 6600 का लाभ दिया गया तथा 20 वर्ष की सेवा पश्चात् आगामी पदोन्नति ग्रेड पे 6800 का लाभ दिया गया, परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया और अपीलार्थी ग्रेड 6600 में ही निरंतर बना रहा। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में सक्षम अधिकारी को बताया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई और अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ग्रेड पे 6600 से ही दिनांक 31.08.2020 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। जबकि उसके समान कार्मिक उससे उच्च ग्रेड पे 6800 का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जबकि अपीलार्थी ग्रेड पे 6800 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था। परंतु उसे उक्त लाभ से वंचित रखा गया और उक्त मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने पर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को ग्रेड पे 3800 का लाभ जिस तिथि से उनके समान अन्य कार्मिकों को दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी दिया जावे और पीपीओ पेंशन आदि का पुनर्निधारण करते हुये सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय (वरिष्ठ अध्यापक) के पद पर दिनांक 13.01.1979 को हुई थी और उसे माह अगस्त, 1995 में एसडीआई के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी के समकक्ष कार्मिकों को ग्रेड पे 4800 का लाभ प्रदान किया गया परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया, प्रस्तुत अपील में न तो समकक्ष कार्मिक का विवरण प्रस्तुत किया गया और न ही ग्रेड पे 6800 प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार के किसी आदेश अथवा परिपत्र को वर्णित किया गया। अपीलार्थी दिनांक 31.08.2020 को प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुआ है और प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पद को नियमानुसार छठें वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे 6000 देय था, जो सातवें वेतन आयोग में राज्य सरकार के आदेशानुसार ग्रेड पे 6600 अनुज्ञात किया गया और अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप नियमानुसार ग्रेड पे 6600 अनुज्ञात करते हुये पेंशन स्वीकृत की गई। वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध अन्य कार्मिक श्री महेश कुमार शर्मा जो सांगानेर, जयपुर में कार्यरत था, को पदोन्नति पर करेडाखुर्द चाकसू, जयपुर पदस्थापित किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विद्यालय में अनुचित कार्यमुक्ति के आधार पर करेडाखुर्द चाकसू में उपस्थिति प्रदान करना नियम सम्मत नहीं है। साथ ही उक्त उपस्थिति/कार्यग्रहण की कोई

प्रतिष्टि भी अपीलार्थी कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं है जो कि वर्ष 2015 से अपीलार्थी के स्वयं के संज्ञान में भी है। अपीलार्थी कार्मिक को पदोन्नति फलस्वरूप आदेश दिनांक 30.07.2015 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पदगढा पंचायत समिति, गोगूंदा, जिला उदयपुर में पदस्थापित किया गया और अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.10.2015 को कार्यग्रहण किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष आधारहीन है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये अभिकथन किया है कि दूसरा कार्मिक श्री विक्रम सिंह जिसकी नियुक्ति एवं पदोन्नति अपीलार्थी के साथ हुई है और उसे तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 6800 का लाभ आदेश दिनांक 16.12.2017 के द्वारा दिया गया है जबकि अपीलार्थी को उक्त ग्रेड पे के लाभ से वंचित रखा गया है। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त ग्रेड पे का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 13.01.1979 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर हुई थी और उसे एसडीआई के पद पर माह अगस्त, 1995 में पदोन्नत किया गया। उक्त पद को व्याख्याता संवर्ग में समायोजित किया गया। नियमानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में अपीलार्थी को माह अगस्त, 2005 में प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और उसे माह अगस्त, 2015 में द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ देय था। प्रधानाचार्य के पद के लिये वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी के नाम पर उक्त पद हेतु विचार किया गया और पदोन्नति उपरांत उसे आदेश दिनांक 25.07.2015 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करेडाखुर्द चाकसू, जयपुर पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 30.09.2015 के द्वारा अपीलार्थी को उदयपुर स्थानांतरित किया गया। अपीलार्थी समान व्यक्ति जिसे अपीलार्थी के साथ आदेश दिनांक 25.07.2015 के द्वारा पदोन्नत किया गया और ग्रेड पे 6600 का लाभ दिया गया तथा 20 वर्ष की सेवा पश्चात् आगामी पदोन्नति ग्रेड पे 6800 का लाभ दिया गया, परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी के समान अन्य कार्मिक श्री विक्रम सिंह को ग्रेड पे 6800 का लाभ दिये जाने और अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखे जाने का प्रश्न है, नियुक्ति आदेश दिनांक 05.08.1995 (अनुलग्नक–7)

के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 23 पर एवं अन्य कार्मिक श्री विक्रम सिंह का नाम क्रम संख्या 16 पर अंकित है, जिनका एक ही आदेश के द्वारा नियुक्ति हुई है और आदेश दिनांक 25.07.2015 (अनुलग्नक–2) से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को एवं श्री विक्रम सिंह को उक्त आदेश के द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर ग्रेड पे 6600 में एक साथ पदोन्नति प्रदान की गई है, जिनका नाम क्रम संख्या 45 एवं 47 पर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं श्री विक्रम सिंह की पदोन्नति एक साथ एक ही आदेश के द्वारा हुई है, परंतु आदेश दिनांक 28.03.2017 एवं 16.02.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री विक्रम सिंह के 20 वर्षीय निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान (एसीपी II) ग्रेड पे 6800 का लाभ देते हुये वेतन निर्धारण किया गया है, परंतु उक्त एसीपी द्वितीय के लाभ से अपीलार्थी को वंचित रखा गया है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से भी सहमत हैं कि अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 25.07.2015 के द्वारा की गई और जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 30.07.2015 को कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 30.07.2015 (अनुलग्नक आर–3) के द्वारा अपीलार्थी का पदोन्नति उपरांत स्थानांतरण/पदस्थापन पदराडा गोगूंदा, उदयपुर किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने लगभग 3 माह बाद दिनांक 08.10.2015 को कार्यग्रहण किया, परंतु अपीलार्थी द्वारा विलम्ब से स्थानांतरण स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने का कोई साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य